12

समक्ष न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

द्वितीय अपील क्रमांक अ पुनि-3729-I-16 /2016

आनंद कुमार चक्रवर्ती (कुम्हार) उम्र करीब 42 वर्ष,
आत्मज स्व0 श्री दशरथप्रसाद कुम्हार, व्यवसाय कृषक,
निवासी : ग्राम बरगी, तहसील व जिला जबलपुर म.प्र.

.... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... प्रत्यर्थी

25 OCT 2016

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44(2) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी माननीय न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय, राजस्व संभाग जबलपुर द्वारा प्रथम अपील क्रमांक - 71 / अ-6 /2014-2015 पक्षकार आनंद कुमार चक्रवर्ती (कुम्हार) विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 5.9.2016 से व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर समयावधि में प्रस्तुत करता है:-

अपील के तथ्य

1. यहकि, अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि मौजा बरगी प.ह.नं.-46/59, रा.नि.मण्डल बरगी, तहसील व जिला जबलपुर में स्थित है जिस पर पुराना खसरा नं. 80/4 रकबा 0.324 हे0 एवं ख.नं. 100 रकबा 1.404 हे0 कुल रकबा 1.728 हे0 है, परन्तु बंदोबस्त के पश्चात पुराना खसरा नं. 80/4 के स्थान पर नया खसरा नं.-160 व रकबा 0.32 हे0 तथा पुराना खसरा नं. 100 के स्थान पर नया ख.नं. 158 रकबा 0.77 हे0. एवं ख.नं. 159 रकबा 0.34 हे0 दर्ज कर दिया गया है इस प्रकार पूर्व रकबा 1.728 हे0 में रकबा 0.298 हे0 की कमी कर दी गयी है। इस प्रकार की गयी कमी के त्रुटि सुधार हेतु रिकार्ड दुरूस्ती हेतु अपीलार्थी

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक -- अपील 3729--एक/16 जिला -- जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.11.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह द्वितीय अपील आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 71/अ--6/2014--15 में पारित आदेश दिकनांक 5--9--16 के विरूद्ध म0प्र0 भू--राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया कि आवेदक के नाम पुराने अभिलेख खसरा वर्ष 1968--69 के अनुसार ग्राम बरगी न0. बं. 68 प.ह.नं. 46/59 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 80/4 एवं 100 रकबा कमशः 0.324, 1.404 कुल रकबा 1.728 हैक्टर एवं अधिकार अभिलेख वर्ष 1954--55 के अनुसार खसरा नं. 80/4, 100 रकबा कमशः 0.80, 3.47 कुल 4.27 एकड़ दर्ज है जबकि वर्तमान अभिलेख के अनुसार नये खसरा नं. नया 158, 159, 160 रकबा कमशः 0.77, 0.34, 0.32 कुल रकबा 1.430 आवेदक के नाम दर्ज है । दोनों अभिलेखों का मिलान करने पर 0.298 हैक्टर की कमी हो रही है । अतः पुराने अभिलेख के अनुसार रकबा सुधार किया जाये । इस आवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिरिक्त तहसीलदार से प्रतिवेदन चाहा गया । अति0 तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक/पटवारी को बंदोवस्त भूल सुधार संबंधी प्रतिवेदन हेतु आदेशित किया । इस पर से राजस्व निरीक्षक ने जांच कर अपना प्रतिवेदन अति0 तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के स्वामित्व की भूमि में	

कार्यवाही तथा आदेश A 3729-5/16

से त्रुटिपूर्ण तरीके से 0.29 हैक्टर की कमी की गई है जिसमें सुधार किए जाने की अनुशंसा की गई । नायब तहसीलदार ने उक्त प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 27-3-14 को पुनः प्रतिवेदन में पाई गई विसंगतियों की पूर्ति करने हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार को वापिस किया गया । इस पर पुनः जाँच कर उन्होंने दिनांक 14-5-14 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थी के रकबे में पाई गई कमी को दुरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को प्रेषित किया । अपर कलेक्टर ने बिना किसी प्रकार की कार्यवाही किए दिनांक 23-6-14 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया । अनुविभागीय अधिकारी ने पुनः जुलाई 14 में प्रकरण नायब तहसीलदार को भेजा । नायब तहसीलदार ने पुनः दिनांक 29-8-14 को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण का अवलोकन किए बिना तथा प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों पर उचित निष्कर्ष निकाले बिना दिनांक 9-9-14 को अपीलार्थी का आवेदन खारिज कर दिया । इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलार्थी के स्वामित्व की उक्त भूमियों के रकबे में 0.29 हैक्टर की कमी त्रुटिपूर्ण तरीके से करदी गई है । अनुविभागीय अधिकारी ने बिना किसी उचित कारण के प्रकरण को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय को प्रेषित किया गया तथा बिना उचित कारण के प्रकरण खारिज किया गया है जो यह दर्शाता है कि अपीलार्थी को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है । विद्वान आयुक्त ने भी उक्त तथ्य का अनदेखा किया है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी

(क्र)

XIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 3729–एक/16 जिला – जबलपुर

न्यायालय तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

ने अंतिम आदेश पारित करते समय अंतिम आदेश के दिनांक में गंभीर त्रुटि की गई है जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 6–9–13 से 29–8–14 तक विचाराधीन रहा है । अंतिम आदेश दिनांक 9–9–14 पारित करते समय दिनांक 9–5–14 लिखा जाना गंभीर भूल है और इस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान न देकर त्रुटि की गई है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि प्रकरण में पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि बंदोवस्त के दौरान अपीलार्थी के कुल रकबा में से कुल 0.29 हैक्टर की कमी करदी गई है किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों को अनदेखा कर अवैधानिकता की है । अंत में उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर अपीलार्थी के रकबे में की गई त्रुटि को सुधार करने संबंधी यथोचित आदेश पारित किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश एवं प्रकरण में प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । प्रकरण में राजस्व निरीक्षक, बरगी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10–3–14 एवं नायब तहसीलदार, बरगी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 14–5–14 का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि बंदोवस्त के दौरान अपीलार्थी के खसरा नं. 159 रकबा 0.34 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि नक्शे की रकबा बरारी करने पर सही रकबा 0.48 हैक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

प्राप्त होता है । इसी प्रकार नये खसरा नं. 142/1 रकबा 3.61, 142/2 रकबा 0.56 हैक्टर कुल रकबा 4.17 हैक्टर दर्ज है जबकि रकबा बरारी करने पर रकबा 3.88 हैक्टर प्राप्त होता है । राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार 0.29 हैक्टर वेशी दर्ज है, 0.29 हैक्टर रकबा अपीलार्थी के रकबा में समायोजित किया जाना उचित होगा । राजस्व निरीक्षक ने अपीलार्थी के रकबे में सुधार किए जाने की अनुशंसा की गई है । राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि इस प्रकार के सुधार से खसरा एवं नक्शा दोनों का सुधार किया जावेगा, जिसमें अपीलार्थी के रकबे में एवं कब्जे में एकरूपता हो जावेगी । प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि शासकीय मद से रकबा 0.29 आवेदक के नाम से दर्ज होगी ।

5/ प्रकरण में नायब तहसीलदार, बरगी का प्रतिवेदन भी संलग्न है, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि पुराना खसरा नं. 80/4 रकबा 0.320 हैक्टर का हिस्से नये खसरा नं. 160 (संलग्न नक्शे में अंश हिस्सा रकबा 0.16 हरा रंग) एवं खसरा नं. 170 सड़क एवं खसरा नं. 142/2 आबादी (संलग्न नक्शे में अंश हिस्सा रकबा 0.15 पीला रंग) मिलकर कब्जा रकबा 1.728 सही प्राप्त होता है तथा बंदोबस्त के दौरान इसी हिस्से को त्रुटिपूर्ण तरीके से तैयार किया गया है जो सुधार किए जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को पूर्णतः अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को देखे बिना अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश की पुष्टि की गई है इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की

AXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक -- अपील 3729--एक / 16 जिला -- जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाते हैं । नायब तहसीलदार, बरगी को निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्व निरीक्षक मंडल, बरगी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 10--3--14 तथा नायब तहसीलदार, बरगी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 14--5--14 के आधार पर आवेदक के मूल रकबा में की गई 0.29 हैक्टर की कमी को दुरस्त करते हुए आवेदक के मूल खसरा नं. 158, 159 एवं 160 में कुल रकबा 1.728 दर्ज किया जाये और तद्नुसार नक्शा इत्यादि राजस्व अभिलेख दुरस्त किये जायें ।	
	(एम0 के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	